एक अप्रभावी फरिश्ता

लेखक- गौतम भाटिया (अधिवक्ता,दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

29 अप्रैल, 2019

"न्यायपालिका की वाक्पटुता तब कोई महत्व नहीं रखता है जब वह उन मामलों से बचने की कोशिश करता है जो लोकतंत्र के सिद्धांतों को लागू करने की मांग करता हैं।"

एक औपनिवेशिक शासन से लोकतांत्रिक गणराज्य में संक्रमण भारतीय इतिहास सबसे विलक्षण उपलब्धियों में से एक था। अपनी 'हाउ इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक'किताब में, ऑर्नीट शानी नेस्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में किये गये कठिन प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया है। संविधान में यह निर्धारित करके कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होना चाहिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक झटके में एक पूरी आबादी को एक विषय (सरकार की विषय-वस्तु)से नागरिकों में बदल दिया। यह एक उपलब्धि थी जिस पर कई लोगो को संदेह था कि यह संभव हो पाएगा या नहीं, लेकिन इसकी सफलता पर हम सभी को गर्व करना चाहिए।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

इस उपलब्धि के बाद नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। वोट के माध्यम से लोकतांत्रिक वैधता समय-समय पर नवीनीकृत की जाती है और गणतंत्र की नींव स्थिर रहती है। लेकिन, केवल मतदान से ही हमे सफलता नहीं मिल सकती है बल्कि, मतदान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हिस्से के रूप में हो, हमे यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और इसके लिए, कई संस्थागत कारक और शर्तें मौजूद होनी चाहिए, जिसमें से सभी को एक साथ काम करना होगा।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मूल सिद्धांत को मान्यता दी है। वर्षों में कई निर्णयों में, अदालत ने इसे सक्षम करने की शर्तों को निर्धारित किया है जो गारंटी देता हैं कि मतदान एक सार्थक गतिविधि है। उदाहरण के लिए, नागरिक के अधिकार को मनमाने ढंग से वोट से वंचित नहीं किया जाना चाहिए (इसलिए, अदालत ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मतदान एक मूलभूत स्वतंत्रता है); जानने का अधिकार (जिसमें, उम्मीदवारों द्वारा कुछ जानकारी की घोषणा को अनिवार्य बनाया गया); और एक गुप्त मतदान का अधिकार (जहाँ अदालत ने नोटा (NOTA) को शामिल करने का आदेश दिया है)। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमें कई बार याद दिलाया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में जनता का विश्वास गणतंत्रात्मक लोकतंत्र के निरंतर अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है और यह एक ऐसी संस्थागत सुरक्षा उपाय हैं जो इसे सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभात हैं।

न्यायिक निष्क्रियता

किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया की तरह, प्रतियोगिता के ढांचे का गठन करने वाले बुनियादी नियमों को एक निष्पक्ष निर्णय कर्ता द्वारा लागू किया जाना चाहिए। जिसके बाद एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। न्यायपालिका की प्राथ. मिक भूमिका राज्य के विरूद्ध व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। इसी तरह चुनावी प्रतिस्पर्धा में बुनियादी नियमों को भी सुनिश्चित करना न्यायपालिका का ही कार्य है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे राजनीतिक अभिनेताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अदालतों को सामान्य से अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की मूलभूत वैधता दांव पर लगी है।

इस संदर्भ में, भारतीय न्यायपालिका के हालिया आचरण से न्यायिक बयानबाजी और वास्तविक प्रवर्तन के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण अंतर का पता चलता है। जिसमें सबसे पहला है जानने का अधिकार; जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार महत्वपूर्ण बताये जाने के बावजूद, पिछले वर्ष सरकार द्वारा पेश किये गये चुनावी बॉन्ड योजना ने छोटा बना दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों को असीम और गुप्त दान लेने की अनुमति प्रदान करती है। यह जानने के अधिकार को पूरी तरह से नाकाम बना देता है, क्योंकि इस योजना के कारण

मतदाताओं को यह मालूम नहीं हो सकता कि वे जिनको वोट दे रहे है उन्होंने किससे कितना दान लिया हैं।

इसी वजह से इस योजना के लागू होने के तुरंत बाद चुनावी बांड योजना को अदालत में चुनौती दी गई थी; लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सप्ताह पहले तक इस मामले की सुनवाई बंद कर दी और फिर बाद में चुनाव होने तक इस मामले को स्थगित कर दिया, जिसमें समय की कमी का हवाला दिया गया। इस बीच, चुनावी बांड के माध्यम से बेनाम दान के महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए, जिसका एक भारी प्रतिशत सत्तारूढ़ पार्टी को मिला था।

दूसरा, गुप्त मतदान। इस चुनावी मौसम के दौरान, मेनका गाँधी ने मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने की धमकी दी, इन्होने कहाँ कि यदि मुस्लिम मतदाता उन्हें वोट नहीं देंगे तो चुनाव में जीतने के बाद वे उनकी मदद नहीं करेंगी। हालांकि, जैसा कि विद्वान मुकुलिका बनर्जी ने 2017 की शुरुआत में बताया था, और जैसा कि पत्रकार इशिता त्रिवेदी ने हाल ही में प्रदर्शित किया कि राजनीतिक दल अब व्यक्तिगत बूथों के स्तर पर मतदान के परिणामों को निर्धारित करने में सक्षम हैं।

यह गुप्त मतदान की अवधारणा को नष्ट कर देता है और यह उन खतरों का निर्माण करता है जो चुनावी प्रक्रिया को विकृत करने में सक्षम है। हालाँकि, जब 2018में चुनावों में टोटालाइजर मशीनों (totaliser machines),जो कि मतपत्र की गोपनीयता को सुनिश्चित करता है, का इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामला दायर किया गया था, तब अदालत ने इसे सुनवाई के बिना ही खारिज कर दिया था।

मतदाता की शिकायत

इस चुनावी मौसम में मतदाताओं की यह शिकायत रही है कि, बिना किसी सूचना के या बिना किसी सुनवाई के उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। हालाँकि, यह नया नहीं है। मतदाता विलोपन का मुद्दा पिछले साल के अंत में भी सामने आया था, विशेष रूप से तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनावों में, जिसे भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) ने भी माना था। उस समय यह आरोप लगाया गया था (और बाद में द हफिंगटन पोस्ट द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्टिंग के माध्यम से स्थापित भी किया गया है)कि चुनाव आयोग निर्वाचक नामावलियों को 'साफ करने' करने के लिए एक अन-ऑडिटेड डी-डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ (अनधिकृत) आधार लिंकिंग का उपयोग कर रहा था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप, वास्तविक मतदाताओं की एक बहुत बड़ी संख्या को हटाना था।

तदनुसार, पिछले साल के अंत में, हैदराबाद स्थित टेक्नोलॉजिस्ट श्रीनिवास कोदली ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला दायर किया, जिसमें चुनाव आयोग को उपयोग किये जा रहे एल्गोरिथ्म के स्रोत कोड को प्रकट करने और इसके ऑडिटिंग की मांग की गयी थी। लेकिन महीने बीत चुके हैं, आम चुनाव भी आ गया है, लेकिन उच्च न्यायालय याचिका को तय करने में अब तक विफल रहा है। और अंत में, चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास है। मार्च के मध्य में, विपक्षी दलों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग के बारे में था। उनका अनुरोध वोटर वेरिफायड पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) मशीनों का उपयोग करके ईवीएम के 50% को सत्यापित करने का था। चुनाव आयोग की इस पर आपत्ति केवल यह थी कि इससे मतगणना का समय छह दिन बढ़ जाएगा। लेकिन चनाव आयोग ने यह नहीं समझा कि मतगणना अवधि में छह-दिन की वृद्धि, सात-चरण वाले महीने और डेढ़ महीने के आम चुनाव के संदर्भ में, चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए हास्यास्पद रूप से बहुत छोटी सी कीमत है। हालांकि, न्यायालय ने केवल ईवीएम प्रति निर्वाचन क्षेत्र से सत्यापन को बढ़ाकर पांच तक बढ़ा दिया, बिना किसी विस्तृत कारण के।

केवल शब्द?

कई अवसरों पर, कई वर्षों में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय लोकतंत्र की गौरवगाथा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के महत्व और वोट की सर्वोच्च पवित्रता के बारे में वाक्पटुता व्यक्त की है। हालांकि, लोकतंत्र, खुद को बनाए नहीं रख सकता है। न्यायपालिका की वाक्पटुता तब कोई महत्व नहीं रखता है जब वह उन मामलों से बचने की कोशिश करता है जो लोकतंत्र के सिद्धांतों को लागू करने की मांग करता हैं।

मतदाता का अधिकार, गुप्त मतदान, और मतदान करने की स्वतंत्रता - इन सभी को पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न पहलुओं से कम करके आंका गया है, जो चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा रहा है। जिसका कारण प्रत्येक अवसर पर अदालतों द्वारा इन समस्याओं को हल करने के बजाय, टाल-मटोल करना है।

इलेक्टोरल बॉन्ड

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में एक एनजीओ ने अपनी याचिका में इस स्कीम की वैधता को चुनौती देते हुए कहा था कि इस स्कीम पर रोक लगाई जानी चाहिए या फिर इसके तहत डोनर्स के नामों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला देते हुए राजनीतिक दलों से 30 मई तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान करने वालों का विवरण, उनसे प्राप्त राशि, प्रत्येक बॉन्ड पर प्राप्त भुगतान आदि का विवरण चुनाव आयोग को देने को कहा है।
- इसके अलावा, सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के जरिए खुलासा हुआ है कि मार्च 2018 से 24 जनवरी, 2019 के बीच खरीदे गए कुल इलेक्टोरल बॉन्ड में से 99.8 फीसदी इलेक्टोरल बॉन्ड 10 लाख और एक करोड़ रुपये के थे।
- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख और एक करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री करता है।
- आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 10 लाख रुपये के 1,459 और एक करोड़ रुपये के कुल 1,258 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए।

क्या है?

- यदि हम बॉण्ड की बात करें तो यह एक ऋण सुरक्षा है। चुनावी बॉण्ड का जिक्र सर्वप्रथम वर्ष 2017 के आम बजट में किया गया था।
- दरअसल, यह कहा गया था कि आरबीआई एक प्रकार का बॉण्ड जारी करेगा और जो भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों को दान देना चाहता है, वह पहले बैंक से बॉण्ड खरीदेगा फिर जिस भी राजनैतिक दल को दान देना चाहता है उसे दान के रूप में बॉण्ड दे सकता है।
- राजनैतिक दल इन चुनावी बॉण्ड की बिक्री अधिकृत बैंक को करेंगे और वैधता अवधि के दौरान राजनैतिक दलों के बैंक खातों में बॉण्ड के खरीद के अनुपात में राशि जमा करा दी जाएगी।
- चुनावी बॉण्ड एक प्रॉमिसरी नोट की तरह होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चुनावी बॉण्ड को चेक या ई-भुगतान के जरिये ही खरीदा जा सकता है।

इसकी प्रक्रिया

- सरकार ने चुनावी बॉण्ड के लिये कई नियम बनाए हैं, जिनमें से कुछ ये हैं:-
- पहला नियम यह है कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29-ए के तहत रजिस्टर्ड कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछली लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम-से-कम एक फीसदी वोट हासिल किया हो, वह इलेक्टोरल बॉण्ड के जरिये चंदा ले सकता है।
- इस प्रावधान के जरिये उन चंदों पर रोक लगाने की मंशा है जो कि ऐसे दलों को दिये जाते हैं जो चुनाव लड़ने के नाम पर चंदा तो लेते हैं लेकिन चुनाव में हिस्सा नहीं लेते।
- दूसरा नियम यह है कि इलेक्टोरल बॉण्ड किसी भी वित्त वर्ष की एक तिमाही में केवल 10 दिनों के लिये जारी किये जाते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के साल में 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
- तीसरा नियम यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ चुनिंदा शाखाओं से जारी होने वाले चुनावी बॉण्ड की वैधता, जारी करने के 15 दिनों तक रहती है।
- चंदा देने वाले को इन्हीं 15 दिनों के दौरान अपने मनपसंद राजनीतिक दल के खाते में बॉण्ड को कैश कराना होता है। सिर्फ 15 दिनों का समय देने के पीछे मंशा है कि इन बॉण्ड्स का समानांतर मुद्रा के रूप में दुरुपयोग न किया जा सके।
- चौथा नियम यह है कि ये बॉण्ड्स कम-से-कम एक हजार और अधिकतम् एक करोड़ रुपए की वैल्यू के होते हैं। चुनावी बॉण्ड के खरीददार को सभी केवाईसी नियमों को पूरा करना होगा ताकि अवैध खाते से इन बॉण्ड्स की खरीद न हो सके।

कमियाँ:-

- इसमें पार्टियों के व्यय की कोई तय सीमा नहीं है और चुनाव आयोग इसकी निगरानी नहीं कर सकता है। यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि जो राशि आ रही है वह काला धन है या सफेद, क्योंकि दाता गोपनीय है।

- इसमें विदेशी धन भी आ सकता है और आर्थिक रूप से कंगाल हो रही कोई कंपनी भी पैसा दान कर सकती है। इन परिस्थितियों में सबसे पहले यह प्रतीत होता है कि यह योजना वास्तव में अपने शुरुआती उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई है।
- यह योजना दाता की पूरी गुमनामी की सुविधा प्रदान करती है और न तो बॉण्ड के खरीददार और न ही दान कर प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टी की पहचान का खुलासा करने को बाध्य है।
- किसी कंपनी के शेयरधारक अपनी कंपनी द्वारा दिए जाने वाले दान से अनजान होंगे। इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि मतदाताओं को भी यह नहीं पता होगा कि कैसे और किसके माध्यम से किसी राजनीतिक पार्टी को फंडिंग मिली है।
- इसके अतिरिक्त, किसी दानकर्त्ता कंपनी को दान करने से कम से कम तीन साल पहले अस्तित्व में होने की पूर्व शर्त को भी हटा दिया गया है। यह शर्त शेल्स कंपनियों के माध्यम से काले धन को राजनीति में खपाने से रोकती थी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और अर्द्धन्यायिक संस्थान है।
2. वर्तमान में निर्वाचन आयोग की संरचना में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 3 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2
(d) न तो 1, न ही 2

1. Consider the following statements-

1. Election commission of India is an independent and quasi-judicial Institute.
2. At present, Election Commission consists of one Cheif Election Commissioner and 3 other Election Commissioner.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने के संबंध में निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्यप्रणाली का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

Q. Evaluate the power and workings of Election Commission in conducting independent and fair election. (250 Words)

नोट : 27 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।